



हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 19.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

**थाना-निजामाबाद**

**अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

**गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।**

**गिरफ्तारी का विवरण विवरण:-**

दिनांक 18.09.25 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह (चौकी प्रभारी फरिहा) थाना निजामाबाद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुईया मकदूमपुर मोड़ के पास से एक अभियुक्त जयहिंद यादव पुत्र बसन्ता यादव निवासी ग्राम असनी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष को एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 23.10 बजे हिरासत में लिया गया। बरामदगी के आधार पर दिनांक 19.09.2025 को थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 324/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

1. मु0अ0सं0- 324/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

01. जयहिंद यादव पुत्र बसन्ता यादव निवासी ग्राम असनी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष

**बरामदगी का विवरण:-**

01. एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर

02. एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

**आपराधिक इतिहास का विवरण:-**

1. मु0अ0सं0 315/23 धारा 323,504,506,34 भादवि थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 167/25 धारा 115(2),351(3),352 बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 271/25 धारा 115(2),126(2),351(3),352 बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना निजामाबाद, आमजगढ़।

2. उ0नि0 परमात्मा यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

3. का0 प्रशान्त कुमार थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

4. का0 कमलेश कुमार थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।



## थाना-सरायमीर

### थाना-सरायमीर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

#### चोरी की कुल 02 घटनाओं का किया गया सफल अनावरण

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के कुल 7000 रुपये नगद तथा एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

#### पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

➡ दिनांक- 12.09.2025 को वादी ग्यासुद्दीन पुत्र स्व0 मोहम्मद मुनीर ग्राम बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि थाना सरायमीर के खरेवाँ मोड़ पर ग्यास मिडिसीन सेन्टर के नाम से वादी का मेडिकल हाल है, प्रतिदिन के भांती आज दिनांक 10.09.2025 को लगभग 1.23 बजे दिन में काउण्टर लाक कर दुकान का दोनों सटर बन्दकर वादी नमाज पढ़ने के लिए चला गया। जब वह नमाज पढ़कर लगभग 1.42 बजे वापस आया तो देखा कि दुकान का एक शटर आधा खुला है, अन्दर जाकर देखा तो काउण्टर का लाक टूटा हुआ था तथा उसमें रखा 8000 हजार रुपये भी गायब है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-397/2025 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 21.08.2025 को वादिनी माधुरी सिंह पत्नी भानुप्रताप सिंह निवासी ग्रा0 खानकाह थाना सरायमीर जिला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि रात्रि में मेरे घर से चाँदी का पायजेब व करधन तथा 10 हजार रुपये नगद चोरी हो गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 371/2025 धारा 305 बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

#### गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 19.09.2025 को उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र शान्ति व्यवस्था ड्यूटी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मामूर होकर नन्दाव मोड़ पर मौजूद थे कि भ्रमणशील उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह के साथ नन्दाव मोड़ पर आकर मिले। हम सभी पुलिस वाले क्षेत्र में हो रही चोरियों के सम्बन्ध में आपस में बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि दो व्यक्ति ग्राम खानकाह रेलवे क्रासिंग से गाहूखोर की तरफ जाने वाले मार्ग पर मौजूद है तथा किसी बड़ी घटना कारित करने के फिराक में हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर हम पुलिस वालों द्वारा सिखलाये गये तरीके से मौके पर पहुँचकर दो अभियुक्तों 01. शाकिब पुत्र रियाजुद्दीन निवासी नई बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष 02. लालमन पुत्र हरिनाथ निवासी खरेवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को समय करीब 23.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिये गये अभियुक्त शाकिब पुत्र रियाजुद्दीन उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 3200 रुपये बरामद किया गया। हिरासत में लिये गये दूसरे अभियुक्त लालमन पुत्र हरिनाथ उपरोक्त के कब्जे से एक जोड़ी पाजेब सफेद धातु तथा 3800 रुपये नगद बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त शाकिब पुत्र रियाजुद्दीन को 3/25 आर्म्स एक्ट व 317(2)/3(5) तथा अभियुक्त लालमन उपरोक्त को धारा 317(2)/3(5) बीएनएस के दण्डनीय अपराध का बोध कराते हुए गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

#### पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम दोनों द्वारा दिनांक 21.08.2025 की रात्रि में खानकाह के एक घर में छत के रास्ते से अंदर जाकर जहाँ घर वाले सोये हुए थे जहाँ से हम लोग एक चाँदी का करधन व पाजेब तथा 10000 रुपये चुराये थे। चोरी के सामान में से करधन को बेच दिये थे तथा उससे प्राप्त रूपयों को आपस में बाँट लिये थे, पाजेब आज बेचने जा रहे थे तथा जो पैसा आप लोग हम लोगों के पास से मिला है वह चोरी का ही था कुछ पैसे खर्च हो गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा और कड़ाई से पूछने पर बताया गया कि दिनांक 10/09/2025 को हम दोनो खरेवा मोड़ पर मेडिकल स्टोर से दिन में जब दुकानदार नवाज पढ़ने गये थे तब हम दोनो काउण्टर का लाकर तोड़कर 8000 रुपये चोरी कर लिये थे जिसको हम लोग आपस में बराबर बराबर बाट लिये थे। बरामद तमंचा व कारतूस के बारे में पूछने पर बताये कि चोरी करते समय यदि कोई विरोध करे तो उसे डराने धमकाने के लिये रखे थे।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. शाकिब पुत्र रियाजुद्दीन निवासी नई बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष।
2. लालमन पुत्र हरिनाथ निवासी खरेवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

## पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 371/25 धारा 305 बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़- बढोत्तरी धारा 317(2) /3(5)
2. मु0अ0सं0 397 /25 धारा 305 बीएनएस मे 317(2) /3(5) थाना सरायमीर आजमगढ़ - बढोत्तरी धारा 317(2) /3(5)
3. मु0अ0सं0-405/2025 धारा 3/25 धारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

## बरामदगी:-

01. एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर(अभियुक्त शाकिब पुत्र रियाजुद्दीन उपरोक्त के पास से)
02. दोनो अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के कुल 7000 रुपये नगद बरामद किया गया।

## आपराधिक इतिहास:-

### शाकिब पुत्र रियाजुद्दीन निवासी नई बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष

1. मु0अ0सं0- 005/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0-39/2023 धारा 380, 411, 411, 457 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0-0223/2023 धारा 21/8 NDPS ACT थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0-154/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 371/25 धारा 305 बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़- बढोत्तरी धारा 317(2) /3(5)
6. मु0अ0सं0 397 /25 धारा 305 बीएनएस मे 317(2) /3(5) थाना सरायमीर आजमगढ़ - बढोत्तरी धारा 317(2) /3(5)
7. मु0अ0सं0-405/2025 धारा 3/25 धारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

### लालमन पुत्र हरिनाथ निवासी खरेवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष

1. मु0अ0सं0-78/2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 371/25 धारा 305 बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़- बढोत्तरी धारा 317(2) /3(5)
3. मु0अ0सं0 397 /25 धारा 305 बीएनएस मे 317(2) /3(5) थाना सरायमीर आजमगढ़ - बढोत्तरी धारा 317(2) /3(5)

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 पंकज यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 अभिषेक सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. का0 अजीत तोमर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
4. का0 विपिन पटेल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
5. हे0का0 विजय तिवारी ,थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
6. का0 आलोक शुक्ला,थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़



## थाना-बिलरियागंज

### युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

#### पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.04.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति सूर्या उर्फ बादल पुत्र करन निवासी हिरनई गुल्लीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया है। जिसकी काफी खोजबीन की गयी, लेकिन मिली नहीं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 107/2025 धारा 137(2)/87/351(3)BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

#### गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 19.09.2025 को उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सूर्या उर्फ बादल पुत्र करन निवासी हिरनई गुल्लीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को उसके घर से समय करीब 11.30 बजे हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

#### पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 107/2025 धारा 137(2)/87/351(3)BNS थाना बिलरियागंज आजमगढ़

#### आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 56/2025 धारा 137(2)/87/64 BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. सूर्या उर्फ बादल पुत्र करन निवासी हिरनई गुल्लीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

#### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01. सुनील कुमार दुबे थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ़
02. उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा थाना बिलरियागंज आजमगढ़
03. हे0का0 दीपक कुमार थाना बिलरियागंज आजमगढ़
04. का0 दीपू कुमार शर्मा थाना बिलरियागंज आजमगढ़

